बाल विवाह का अंत सम्भव है

बाल सन्दर्भ केन्द्र एवं अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर

परिकल्पना–
राजेश यादव, IAS (Rtd.)
सीनियर फैलो, बाल संदर्भ केन्द्र,
हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान,
जयपुर।

प्रकाशक–
बाल सन्दर्भ केन्द्र,
हरीशचन्द्र माथुर
राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर।

मार्गदर्शन
श्री गोविन्द बेनीवाल,
निदेशक, अन्ताक्षरी फाउण्डेशन एवं
पूर्व सदस्य,
राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
जयपुर।

लेखन–
श्री देवकिशन परमार,
बाल संरक्षण विशेषज्ञ,
अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर

सहयोग
यूनिसेफ, राजस्थान।

आवश्यक सूचना–
इस पुस्तिका को बाल विवाह की रोकथाम हेतु सभी हितधारको एवं जन समुदाय में कानूनी प्रावधानों के प्रति जानकारी एवं जन–जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया जा रहा है। कृपया इस पुस्तिका का उपयोग कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें।

विषय सूची

- परिचय
- बाल विवाह के कारण
- बाल विवाह के परिणाम
- अपराध
- निषेधाज्ञा
- शून्यकरण
- गुजारा भत्ता एवं बच्चें की अभिरक्षा
- बच्चों की देखरेख और संरक्षण
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं उनकी भूमिका
- बाल विवाह की रोकथाम में पुलिस की भूमिका

परिचय

किसी भी विकसित राष्ट्र एवं सभ्य समाज के निर्माण के लिए समुदाय के प्रत्येक वर्ग मुख्यतः महिलाएं एवं बच्चों का समग्र रूप से सशक्त एवं सुरक्षित होना आवश्यक है।

आधुनिक समाज के विकास में बाल विवाह बड़ी चुनौती है। आज भी बाल विवाह कई समुदायों में सामाजिक परम्परा के स्वरूप में प्रचलित है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का एक निर्मम उल्लंघन है। सभी बच्चों को परिपूर्ण देखभाल एवं संरक्षण का अधिकार होता है भले ही वे किसी भी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से क्यों न हो। बाल विवाह से प्रभावित बच्चों को अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2016–2030 की अवधि के लिए निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके तहत कम उम्र में विवाह, जबरन एवं बाल विवाह को समाप्त करना भी शामिल है। राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 एवं बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य–योजना, 2016 में बच्चों के संरक्षण के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (2015–2016) की रिपोर्ट के अनुसार देश में 26.8 प्रतिशत बालिकाओं की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व कर दी जाती है तथा 7.9 प्रतिशत बालिकाएं 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही मां बन जाती है। देश में सर्वाधिक बाल विवाह से प्रभावित राज्यों में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 35.4 प्रतिशत बालिकाओं एवं 35.7 प्रतिशत बालकों का विवाह निर्धारित आयु से पूर्व ही कर दिया जाता है। जनगणना, 2011 के अनुसार राजस्थान में 31.6 प्रतिशत बालिकाओं का विवाह निर्धारित आयु से पूर्व हुआ है।

देश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने तथा इससे प्रभावित बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष कानून के रूप में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। यह अधिनियम दिनांक 1 नवम्बर, 2007 से जम्मू कश्मीर एवं पांडिचेरी में रहने वाले फ्रेंच रोनेकांट प्रजाति को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम के जरिये विवाह करने की न्यूनतम आयु बालक एवं बालिका के लिए क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष तय की गई है। इस अधिनियम के तहत बाल विवाह शुन्यकरणीय है, लेकिन शून्य अथवा अवैध नहीं है। यह अधिनियम सभी धर्म एवं सम्प्रदाय में होने वाले बाल विवाहों पर लागू होता है।

राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 लागू किये गये है।

बाल विवाह को जड़ से मिटाना के लिए सभी एजेंसियों एवं हितधारकों से अपेक्षा है कि वे पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को लागू कर बच्चों को सुरक्षित एवं विकासात्मक माहौल प्रदान करें।

बाल विवाह के कारण

- समाज में बालिका को बोझ मानने की मानसिकता होने के कारण बालिका को विवाह कर परिवार जल्द से जल्द इस बोझ से मुक्त होना चाहता है।
- इस प्रथा के पक्ष में परिवार एवं समुदाय की दलील यह होती है कि अगर बालिका का बचपन में ही विवाह कर दिया जाए तो दहेज कम देना पड़ता है।
- बालिकाओं को यौन हिंसा से बचाने के लिए भी समुदाय बाल विवाह के हक मे तर्क देते है। इससे यह बात भी छिप जाती है कि वे खुद अपनी बालिका को मुकम्मल सुरक्षा प्रदान करने की हालात में नहीं है। इस आशय का विश्वास काफी गहरा है कि बालिकाओं को पुरूषों के अनचाहे आकर्षण और घनिष्ठता से बचाने के लिए बाल विवाह ही सबसे अच्छा साधन है।
- बाल विवाह शादी से पहले बालिका की शुचिता और कौमार्य सुनिश्चित रखने का एक तरीका माना जाता है।
- सामाजिक और आर्थिक तौर पर बालिका का भविष्य सुरक्षित करने के लिए परिवार शादी को एक कारगर जरिया मानते है।
- बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव, कानूनों का शिथिल क्रियान्वयन और शासन तंत्र की इच्छाशक्ति में अभाव भी इस कुरीति के बने रहने की अहम वजह है।

बाल विवाह के परिणाम

- बाल विवाह से बच्चें के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा प्राप्त करने और हिंसा एवं उत्पीड़न से संरक्षण के अधिकारों का हनन होता है।
- विवाह की व्यवस्था वैवाहिक जोड़ों पर विशेष प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियां थोंप देती है, जिसके लिए बच्चें शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार नहीं होते है।
- बाल विवाह के परिणामस्वरूप बच्चों को यौन गतिविधियों में सक्रिय होने और बच्चे पैदा करने की स्वीकृति भी मिल जाती है। अधिकांशः बालिकाएं असुरक्षित यौन गतिविधियों के चक्र में घिर जाती है। बालिकाओं के परिप्रेक्ष में जल्दी विवाह का मतलब होता है जल्दी मां बनना है। कई परिस्थितियों में बालिकाओं को बार–बार गर्भपात भी करवाना पड़ता है।
- कम उम्र में यौन गतिविधियों से प्रजनन नली में संक्रमण और एचआईवी/एड्स सहित यौन संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है।
- बाल विवाह के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर ज्यादा है।
- बाल विवाह के कारण कम उम्र की मां एवं बच्चे दोनों की स्वास्थ्य खतरे मे पड़ जाता है। बाल विवाह से जन्में नवजात शिशु का वजन कम रह जाता है, जिससे कुपोषण एवं खून की कमी की ज्यादा आंशंका रहती है।
- बाल विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है। शादी की वजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं जिससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज्यादा संभावना नहीं बचती है।

  व्यापार/तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है।

- बालिकाएं अक्सर अपने संगी–साथियों से बिछड़ जाती है। इस तरह के सामाजिक अलगाव से उनके सामने नई कठिनाइयां पैदा हो जाती है जो सहेत, विकास और खुशहाली की ओर उनकी प्रगति को रोकती हैं।
- समुदाय में मान्यता है कि अगर बालिकाओं का जल्द विवाह कर दिया जाए तो उन्हें हिंसा से बचाया जा सकता है। ऐसे मां–बाप यह नहीं समझते कि बाल विवाह तो वास्तव में घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के लंबे सिलसिले का दरवाजा, खोल देता है।
- बाल विवाह बालिकाओं के व्यावसायिक यौन शोषण, जबरन श्रम या अन्य उद्देश्यों के लिए उनकी खरीद–फरोख्त की दिशा में पहला कदम साबित होता है।
- समाज में बालिकाओं की संख्या में कमी आने के कारण विवाह के लिए बालिकाओं का दुर्व्यापार/तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है।

बच्चों से संबंधित किसी भी कार्यवाही के बुनियादी सिद्धान्त

- बच्चें की प्रतिष्ठा, निजिता एवं गोपनीयता का सम्मान करना।
- सभी कार्यवाहियों का बच्चें के सर्वोत्तम हित पर आधारित होना।
- प्रत्येक कार्यवाही में बच्चें की सुरक्षा को सबसे बुनियादी महत्व प्रदान करना।
- इस बात का ध्यान रख जाएं कि सभी कार्यवाही से बच्चे को शारीरिक, मनौवैज्ञानिक या भावनात्मक स्तर पर और ज्यादा या बार–बार पीड़ा से न गुजरना पड़े।
- जाति, धर्म, जेंडर शारीरिक या मानसिक विकलांगता के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना।
- प्रत्येक बच्चें को उसके बचाव, पुनर्वास एवं पुर्नसमेकन से संबंधित कार्यवाही तय करने में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना।
- पुलिस या संबंधित हितधारकों की ओर से की जाने वाली कानूनी कार्यवाही शुरू से लेकर दोषियों को सजा दिलाने तक लगातार बच्चें के प्रति संवेदनशील एवं अनुकूल होना।
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चों के साथ किसी तरह की हिंसा और दुर्व्यवहार नहीं हो तथा यह सभी नागरिकों की जिम्मेदारी हैं।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

- कोई पुरूष यदि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् बाल विवाह करता हैं, तो ऐसा करना अपराध माना जायेगा तथा उसे 2 वर्ष तक का कठोर कारावास की सजा या 1 लाख रूपये तक के जुर्मानें या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–9)
- किसी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह करना या इसका आयोजन करना या बाल विवाह करवाने के लिए दुष्प्रेरण करना अपराध माना जायेगा, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उसे यह विश्वास था की ऐसा विवाह बाल विवाह नहीं था, ऐसे करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास की सजा तथा उसे 1 लाख रूपये तक के जुर्मानें से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–10)
- बच्चे की देखरेख के लिए जिम्मेदार माता–पिता अथवा संरक्षक या संगठन या निकाय का कोई सदस्य ऐसे बच्चे के बाल विवाह को प्रोत्साहित करता या बाल विवाह करने के लिए अनुदेश देता है या ऐसे बाल विवाह का आयोजन करता है तथा उपेक्षापूर्वक ऐसे विवाह को रोकने में असफल रहता है या किसी भी रूप में (रिश्तेदार, बारातियों, पण्डित, हलवाईयों, टेण्ट वाले, बैंड बाजा इत्यादि) बाल विवाह में भाग लेता है, तो यह अपराध माना जायेगा, ऐसे करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास की सजा तथा 1 लाख रूपये तक के जुर्मानें से दण्डित किया जा सकेगा। परन्तु दोषी महिला को केवल जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। (धारा–11)
- किसी व्यक्ति द्वारा जान–बूझकर अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा बाल विवाह को रोकने हेतु जारी निषेधाज्ञा (व्यादेश) की अवहेलना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास की सजा या 1 लाख रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। परन्तु दोषी महिला को केवल जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। {धारा 13(10)}
- अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016

- बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चे पर प्रहार/हमला या बच्चे का परित्याग या उत्पीडन किया जाता है या जान बुझकर बच्चे की उपेक्षा की जाती है या प्रहार/हमला या परित्याग या उत्पीडन करने के लिए बच्चे को प्राप्त करता है, जिससे बच्चे को शारीरिक या मानसिक कष्ट होने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा या 1 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–75)
- अधिनियम की धारा 75 के तहत् किसी बच्चे का विवाह करना बच्चे के प्रति क्रूरता माना जायेगा। (नियम 55)
- अधिनियम के अन्तर्गत यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय है।

लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

- कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बच्चें का खून का रिश्ता है या दत्तक रिश्ता है या विवाह से कोई रिश्ता बना है या संरक्षक या बच्चें का पोषण करने वाला कोई रिश्तेदार या बच्चें से कोई घरेलू सम्बन्ध में है या बच्चें के साथ साझी गृहस्थी में रहने वाला कोई व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष के कम उम्र के बालक या बालिका के साथ धारा 3 में वर्णित प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वह गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जायेगा। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा तथा जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। {धारा–5(ढ़)/6)}
- कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बच्चें का खून का रिश्ता है या दत्तक रिश्ता है या विवाह से कोई रिश्ता बना है या संरक्षक या बच्चें का पोषण करने वाला कोई रिश्तेदार या बच्चें से कोई घरेलू सम्बन्ध में है या बच्चें के साथ साझी गृहस्थी में रहने वाला कोई व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष के कम उम्र के बालक या बालिका के साथ धारा 7 में वर्णित लैंगिक हमला करता है, तो वह गंभीर लैंगिक हमला माना जायेगा। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास तक की सजा तथा जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। {धारा–9(ढ़)/10)}
- ऐसे अपराध में बालक/बालिका की सहमति महत्वहीन है।
- अधिनियम के अन्तर्गत यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय है।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 382/2013 में वर्ष अक्टूबर, 2017 में पारित आदेश में बाल विवाह से प्रभावित बालिकाओं के जीवन पर पड़ने वाले गम्भीर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनके साथ बाल्यावस्था में होने वाली लैंगिक हिंसा को बलात्कार माना है।
- कोई पति द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नि के साथ धारा 375 में वर्णित यौन सम्बन्ध स्थापित करता है, तो इसे बलात्कार का अपराध माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा तथा जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–376, भ.द.स.)
- कोई न्यायालय द्वारा धारा 376 के अधीन अपराध का संज्ञान अपराध के गठित हो जाने के 1 वर्ष उपरान्त नहीं लिया जा सकेगा। (धारा–198(6), द.प्र.सं.)
- ऐसे अपराध में बालिका की सहमति महत्वहीन है।
- संहिता के अन्तर्गत यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

- किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 5(3) में निर्धारित विवाह की आयु (पुरूष के लिए 21 वर्ष एवं महिला 18 वर्ष की आयु) प्राप्त करने से पूर्व विवाह करना अपराध माना जायेगा। ऐसे करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा या 1 लाख रूपये तक के जुर्मानें अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकेगा। {धारा–18(क)}
- अधिनियम के अन्तर्गत यह अपराध संज्ञेय और जमानतीय है।

निषेधाज्ञा

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत् निषेधाज्ञा युक्तियुक्त बाल विवाह को कानूनी रूप से रोकने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाने वाला व्यादेश हैं।
- बाल विवाह करने की सोची समझी साजिश होने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत शिकायत अथवा सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा जारी की जा सकेगी। {धारा 13(1)}
- प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर भी निषेधाज्ञा जारी की जा सकेगी। {धारा 13(3)}
- प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा बाल विवाह को रोकने हेतु किसी व्यक्ति या संगठन के सदस्य के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति/संगठन को सूचित किया जाकर, उन्हें सुनने का अवसर दिया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट द्वारा बिना पूर्व सूचना के अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जा सकेगी। {धारा 13(6)}
- अबूझ सावों (अक्षय तृतीया, बड़ल्या नवमीं, देव उठनी एकादशी इत्यादि) पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी समुचित उपायों एवं अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग किया जा सकेगा। {धारा 13(4)}

शून्यकरण

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत् ऐसे बच्चे, जिनका बाल विवाह हो चुका है, के लिए बाल विवाह से मुक्ति पाने का अधिकार है।
- बाल विवाह शून्यकरणीय है, ऐसे विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है। {धारा 3(1)}
- बाल विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए बाल विवाह से प्रभावित व्यस्क बालक या बालिका द्वारा पारिवारिक न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। {धारा 3(1)}
- यदि बालक या बालिका अवयस्क है, तो उसकी ओर से उसके अभिभावक या उसके किसी दोस्त/परिचित एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के सहयोग से बाल विवाह शून्य करवाने हेतु पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन ऐसे अभिभावक/दोस्त/परिचित का 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। {धारा 3(2)}
- बाल विवाह से प्रभावित बालक/बालिका द्वारा 18 वर्ष (वयस्कता) की आयु प्राप्त करने के 2 वर्ष के भीतर अपने विवाह को शून्य करवाने की मांग की जा सकती हैं। {धारा 3(3)}
- पारिवारिक न्यायालय द्वारा आवश्यक जांच उपरान्त बाल विवाह को शून्य घोषित करने की डिक्री जारी की जा सकेगी। इस दौरान न्यायालय यह भी आदेश जारी कर सकेगा की दोनों पक्षकार विवाह में प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तु या आभुषण के बराबर रकम और धन लौटा दें। {धारा 3(4)}

- निम्न विशेष परिस्थितियों मे बाल विवाह प्रारम्भ से ही शुन्य माना जायेगा–
- जहां बच्चे को बहला–फुसला कर या जबरन या धोखे से उसके वैधानिक अभिभावकों से दूर कर बाल विवाह किया गया है। {धारा 12(ए) एवं (बी)}
- जहां बच्चे की विवाह के लिए खरीद–फ्रोख्त की गई है या बच्चे का विवाह उपरान्त दुर्व्यापार या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है। {धारा 12(सी)}
- जहां बाल विवाह को रोकने के लिए धारा 13 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा जारी करने के बावजूद भी बाल विवाह किया गया है। (धारा 14)

गुजारा भत्ता एवं बच्चें की अभिरक्षा (कस्टडी)

- यदि विवाह के समय बालक वयस्क है तो वह बालिका के पुनर्विवाह तक गुजारा–भत्ता देने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि विवाह के समय पति भी नाबालिग है तो बालक के अभिभावक बालिका के पुनर्विवाह तक गुजारा–भत्ता देने के लिए जिम्मेदार होगें। {धारा 4(1)}
- पारिवारिक न्यायालय द्वारा बालिका के भरण–पोषण का निर्धारण उसकी आवश्यकताओं, रहन–सहन के तरीके एवं पक्षकार (बालिका के पति एवं अवयस्क होने की स्थिति में उसके अभिभावक) की आय को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। (धारा 4(2)}
- पारिवारिक न्यायालय द्वारा बच्चे के कल्याण एवं उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुये बच्चे की अभिरक्षा (कस्टडी) के संबंध में आदेश पारित किया जायेगा। {धारा 5(2)}
- बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान को सामान्य विवाह से उत्पन्न होने वाले बच्चे के समान सभी अधिकार प्राप्त होगें, चाहे ऐसे बच्चे के माता–पिता के विवाह को शुन्य घोषित किया जा चुका हो। (धारा 6)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016

- बाल विवाह का आसन्न जोखिम रखने वाले बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चा माना गया है। {धारा 2 (14)}
- किसी बच्चे का विवाह किए जाने के खतरे/जोखिम की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा बच्चे की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु उसे 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। (धारा 31 एवं नियम 55)
- समिति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच उपरान्त ऐसे बच्चों की देखभाल एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा। (धारा 36)

लैगिंक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

- ऐसे बच्चे जिनका बाल विवाह हो चुका है तथा उनके साथ साझी गृहस्थी में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा यौन सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, तो ऐसे बच्चे को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा मानते हुए पुलिस द्वारा उसे बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। (नियम 4)
- लैंगिक हिंसा से पीड़ित बच्चे को क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास के लिए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानानुसार प्रतिकर/राहत उपलब्ध कराई जा सकेगी। (नियम 7)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

- अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई भी कार्य या आचरण घरेलू हिंसा माना जायेगा, जो हिंसा का सामना करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई को नुकसान पहुंचाता है या उसे संकट में डालता है। बाल विवाह से प्रभावित बालिकाओं को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, और छोटी उम्र में विवाह के बाद उन पर घरेलू हिंसा होने की आशंका दुगुनी हो जाती है, अतः यह अधिनियम इन बालिकाओं को भी संरक्षण प्रदान करता है।
- ससुराल पक्ष द्वारा घर से निकालने से संरक्षण प्रदान करते हुए बालिका को साझी गृहस्थी में निवास को सुनिश्चित करता है। (धारा 17)
- घरेलू हिंसा से प्रभावित बालिका को हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। (धारा 18)
- हिंसा का सामना करने वाली बालिका और उनके बच्चों को आर्थिक राहत/भत्ता देने की व्यवस्था करता है। (धारा 20)
- हिंसा का सामना करने वाले व्यक्ति के बच्चों की अभिरक्षा के लिए संरक्षण देता है।(धारा 21)
- घरेलू हिंसा के कारण हिंसा का सामना करने वाली बालिका को हुई शारीरिक, मानसिक यातना एवं भावनात्मक संकट से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिकर/मुआवजा प्रदान करता है। (धारा 22)

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं उनकी भूमिका

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने लिए समुचित प्रयास यथा पीड़ित बच्चों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा संवेदीकरण एवं जागरुकता कार्यक्रम चलाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। {धारा 16(1)}
- अबूझ सावों (अक्षय तृतीया, बड़ल्या नवमीं, देव उठनी एकादशी इत्यादि) पर सामूहिक बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की समस्त शक्तियां प्रदान की गई है। {धारा 13(4)}
- राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार को उनके क्षेत्राधिकार में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। {धारा 16(1)}
- राजस्थान सरकार द्वारा समस्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 5, 7, 11, 12 में वर्णित पुलिस अनुसंधान अधिकारी की शक्तियों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के तहत् लोक सेवक माना जायेगा।

बाल विवाह कि रोकथाम में, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की भूमिकाः–

■ यदि भविष्य में कोई बाल विवाह होने वाला है तो–

- दोनों पक्षों की समझाइश कर अवगत कराए कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, तथा अभिभावकों को बाल विवाह नहीं करने की सलाह दें।
- समुदाय के सम्मानीय व्यक्तियों से बातचीत कर उन्हें बाल विवाह नहीं होने देने के लिए सलाह दें।
- बच्चों से बात करनी चाहिए ताकि उन्हें बाल विवाह और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराया जा सके। बच्चे को पूरी स्थिति समझने में मदद करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि विवाह करने से उनको संरक्षण का अधिकार है।
- बाल विवाह होने वाली जगहों पर विशेष निगरानी करनी चाहिये।
- पुलिस के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए और दोषियों को गिरफतार करना चाहिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 151 के अंतर्गत पुलिस के पास किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए अपराधियों को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार होता है।
- यदि अभिभावक बाल विवाह की योजना से पीछे नहीं हटते हैं, तो धारा 13 के अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर निषेधाज्ञा के लिए निवेदन करना चाहिये।

■ यदि बाल विवाह हो रहा है, तो–

- बाल विवाह की जानकारी तत्काल सबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को देगें ताकि बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जा सके।
- संपन्न हो रहे विवाह के बारे में सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) आदि एकत्रित करनी चाहिये।
- दोषियों की सूची बनानी चाहिए जो विवाह का जोड़ बिठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हैं या ऐसे विवाह में शामिल हैं।
- पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोषियों की गिरफ्तारी में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।
- बाल विवाह के जोखिम रखने वाले बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण के लिए 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- बच्चे की देखरेख एवं संरक्षण के लिए पुलिस एवं बाल कल्याण समिति को सहयोग उपलब्ध करायेगें।

■ अगर बाल विवाह हो चुका है, तो–

- संपन्न हो चुके विवाह के बारे में सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) आदि एकत्रित करनी चाहिये।
- ऐसे दोषियों की सूची बनानी चाहिए जो विवाह का जोड़ बिठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हैं या ऐसी विवाह में शामिल हुए हैं।
- पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोषियों की गिरफ्तारी में पुलिस की सहायता करनी चाहिये।
- पीड़ित बच्चे के साथ बातचीत कर उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसे बाल विवाह के शुन्यकरण की जानकारी दी जानी चाहिये।
- बच्चे की सहमति से शुन्यकरण के संबंध में पारिवारिक न्यायालय के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवायेगें।
- बच्चे को चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता, काउंसलिंग, गुजारा भत्ते, पुर्नवास आदि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करायेगें।
- अगर बच्चा अपने जैविक माता–पिता के साथ ही रहता है, तो नियमित रूप से अनुवर्तन (फॉलोअप) करायेगें। बच्चे को उसके घर से अलग करना आखिरी विकल्प के रूप में बच्चे के हित में देखा जायेगा।
- बच्चे के अनुवर्तन (फॉलोअप) में सहायता उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्था की मदद ली जा सकेगी।
- पीड़ित बच्चे के विरूद्ध हुए किसी अन्य अपराध के अनुसंधान / जांच में पुलिस एवं अन्य प्राधिकारियों को सहयोग उपलब्ध करायेगें।

बाल विवाह रोकथाम में पुलिस की भूमिका

- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 107 के तहत् राज्य सरकार द्वारा बच्चों से जुडी पुलिस कार्यवाहियों के प्रभावी निष्पादन एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध रोकने के लिए प्रत्येक जिले में ''विशेष किशोर पुलिस इकाई'' की स्थापना एवं प्रत्येक पुलिस थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को देखभाल एवं सरंक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार है।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के माध्यम से बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न कदम उठाना आवश्यक है–
- बाल विवाह होने के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायत की सूचना तत्काल बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) को दी जायेगी तथा बाल विवाह की घटना के बारे में सबूत इकट्ठा किये जायेंगे।
- निकट भविष्य में बाल विवाह होने की सूचना संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को दी जायेगी, ताकि निषेधाज्ञा जारी की जा सके।
- बाल विवाह के प्रभावित बच्चे से बातचीत हेतु महिला पुलिस अधिकारी/महिला सामाजिक कार्यकर्ता/अध्यापिका/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/एएनएम इत्यादि की मदद ली जायेगी।
- बाल विवाह के प्रभावित बच्चे के जोखिम को ध्यान में रखते हुए तत्काल मुक्त कराया जाकर संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 151 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले व्यक्तियों को गिरफतार करना चाहिए, पुलिस के पास किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए अपराधियों को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार होता है।
- बाल विवाह हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर बिना विलम्ब के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं भारतीय दंड संहिता, 1860 की प्रांसगिक धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जायेगी। संबंधित आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जायेगा।
- बाल विवाह के प्रभावित बच्चे के बयान दर्ज किये जाकर उसके संरक्षण एवं देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- मानव तस्करी विरोधी यूनिट के माध्यम से बच्चों के विरूद्ध अपराध जिनमें बाल विवाह एवं लड़कियों की खरीद–फरोख्त, तस्करी मुख्य है, की रोकथाम के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए आवाज उठायें

चाइल्डलाइन – 1098 (टोल फ्री)

पुलिस कंट्रोल रूम – 10 (टोल फ्री)

राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर – 0141–2399335

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग – 0141–2712620

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग – 011–23478200

नोट्स

बाल सन्दर्भ केन्द्र

हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
फोनः 91–141–2706556 फैक्सः 0141–2705420
ईमेलः hcmripa@rajasthan.gov.in
crccmsripa@gmail.com

Premier # 0141-2295097

प्रकाशनः मार्च, 2018